न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/35/2017

उनवान

1. नटवर सिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गजेन्द्र सिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. विजय सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. नैनु सिंह पिता शंकर सिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. कानसिंह पिता शंकर सिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. भगवती लाल पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. रमेश पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. मुकेश पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. दिनेश पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. बाबू पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. बंशीलाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा

सभी वारिसान मृतका श्रीमती धापूबाई पिता मोहनलाल ब्राह्मण जरिये ई0नं0 2732 दिनांक 10.06.2016

रेस्पोडेण्ट्स

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
महोदय गंगापुर के प्रकरण संख्या 99/2015 मु0रे0
निर्णय दिनांक 11.06.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री एम0एल0बापना , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जे0सी0दाधीच, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण

निर्णय

दिनांक 15.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया स्व0श्रीमती धापू के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोशीथल में प्रार्थीया धापू के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 250 में दर्ज आ0नं0 3478 रकबा 1.78 हैक्टर किस्म बाराजी III नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में दर्ज है। उक्त आराजीयात के चारों तरफ मिट्टी की डोल डलवा रखी है। वर्तमान मे उक्त आराजी में मक्की व कुछ जमीन पर चारा उगा हुआ है। इस आराजी में आने–जाने का रास्ता आ0नं0 3475 किस्म गेमु0 रास्ता व आ0नं0 3476 किस्म बीड़ में अवस्थित है।
2. यह कि विपक्षीगण के खेत मुझ प्रार्थीया की उक्त आराजीयात के आस–पास नहीं होकर काफी दूरी पर स्थित है। विपक्षीगण का मुझ प्रार्थीया की आ0नं0 3478 रकबा 1.78 है0 पर कोई हक अधिकार व दखल भी नहीं है। फिर भी विपक्षीगण उक्त सभी मुझ प्रार्थीया की आ0नं0 3478 की पूर्वी दिशा व पश्चिमी दिशा में पड़ी डोल को दिनांक 19.07.2015 को तोड़ दिया है तथा अवैध रूप से रास्ता बनाने के लिए आमादा हो रहे हैं। जबकि प्रार्थीया की उक्त आराजी की किसी भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिशा रास्ता मौके पर नहीं है। न ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है तथा न ही विपक्षीगण की आराजीयात में आने– जाने हेतु कदीमी रास्ता अवस्थित है।

3. यह कि प्रार्थीया की आ0नं0 3478 के पूर्वी तरफ बडा बरसाती नाला बना हुआ है। जिससे प्रार्थीया की इस आराजी संख्या 3478 से पूर्वी ओर स्थित आराजीयात में आवागमन करना असम्भव है। पूर्वी ओर स्थित आराजीयात एवं इससे भी आगे की ओर विपक्षीगण के खेतों में आने जाने का रास्ता आ0नं0 3475 किस्म गेमु0 रास्ता व आ0नं0 3476 किस्म बीड़ में से होकर जाता है एवं प्रार्थीया भी अपनी आ0नं0 3478 में इसी रास्ते से आवागमन करती है। इसके अलावा दक्षिणी दिशा में भी दो सरकारी रास्ते हैं, जो विपक्षीगण के खेतों में सीधे जाते हैं। फिर भी विपक्षीगण सभी प्रार्थीया की आराजीयात में से बीचों–बीच नाजायज रूप से रास्ता कायम करने पर आमादा हो रहे हैं। जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

4. यहकि विपक्षीगण के खेतों में आवागमन हेतु रास्ता आ0नं0 3475 व 3476 में मौके पर अवस्थित है। मुझ प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के खेतों के बीच में अन्य खातेदारान के खेत भी है। मुझ प्रार्थीया की आ0नं0 3478 से सटा हुआ एक बडा बरसाती नाला संख्या 3479 भी बना हुआ होकर वर्तमान में पानी भरा हुआ है। जिससे इस नाले से होकर व अन्य खातेदारान के खेतों में से होकर कोई रास्ता कायम करना सम्भव नहीं है। विपक्षीगणं मुझ प्रार्थीया की आराजी एवं बरसाती नालें में से होकर नया रास्ता बनाना चाह रहे हैं। जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। विपक्षीगण द्वारा तोड़ी गई डोल बाबत ओलम्बा देने पर भी विपक्षीगण नहीं मान रहे हैं तथा अवैध रूप से रास्ता बनाने पर आमादा हो रहे हैं एवं मना करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. यह कि प्रार्थीया आ0नं0 3478 रकबा 1.07 है0 की खातेदार होने से प्रार्थीया का प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित है, सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है तथा यदि विपक्षीगण जबरन लाठी के बल पर प्रार्थीया की आ0नं0 3478 में से अवैध रूप से रास्ता बना लेते हैं, तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता है। जिससे विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना कानूनन आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीया की आ0नं0 3478 में से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता कायम नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीया की आराजी में किसी प्रकार का नुकसान, बाधा, अवरोध पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीया के खेत में डाली गई डोल को भी नहीं तोड़े। यह कृत्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया/प्रत्यर्थी सं0 1 श्रीमती धापू देवी पुत्री मोहनलाल पत्नि बंशीलाल ब्राह्मण निवासी कोशीथल का मार्च, 2016 में ही इन्तकाल हो गया था और नामान्तरकरण संख्या 2732 दिनांक 10.06.2016 को फैसल हो गया किन्तु प्रार्थीया धापू देवी जो कि दिनांक 11.06.2016 को जीवित ही नहीं थी और उसका आवेदन उसकी मृत्यु से 90 दिन के अन्दर कायम मुकाम नहीं बनाने से स्वतः ही अबैट हो गया था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मृतका धापू देवी के पक्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में दिनांक 11.06.2016 को अपीलाण्ट्स के विरूद्ध निर्णय पारित करने में भूल की है।

9. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स का यह भी निवेदन है कि मृतका धापूदेवी ने मूल वाद संख्या 107/2014 दिनांक 13.07.2015 को ही न्यायालय से राजीनामें के आधार पर विड्रा कर लिया था और जब मूल वाद ही अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित नहीं था तो धारा 212 का आवेदन तो स्वतः ही वाद के विड्रॉ होने से विड्रॉ हो जाता है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वहीं तक लम्बित रहता है जबकि मूल वाद लम्बित हो फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 11.06.2016 को मृतका धापू देवी को उपस्थित मानते हुए निर्णय पारित किया है जो स्वतः निरस्त योग्य है।

10. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने यह भी निवेदन किया कि आराजी नम्बर 3478 के उत्तरी तरफ होकर अपीलान्ट्स का रास्ता जाता है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोशीथल में कार्यवाही चली। ग्राम पंचायत के द्वारा 3 पंचों की कमेटी से विवादित रास्ते का मौका दिखवाया गया था। पंचायत की कोरम ने भी पत्रावली संख्या 30 में दिनांक 10.08.2005 को मौका देखकर नक्शा बनाया और 20 फीट चौड़ा रास्ता आ0नं0 3476 व 3478 में कायम किया था और इसी बाबत ग्राम पंचायत ने रास्ता खुलवाने बाबत दिनांक 24.09.2005 को आदेश पारित किया जिसकी कोई अपील अथवा निगरानी मृतका धापू अथवा उसके किसी परिजन द्वारा नहीं की गई। परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए अपीलान्ट्स के विरूद्ध आदेश पारित करने में भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. बहस में प्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट्स धापू के वारिसान के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीया धापू की विरासत का नामानतरकरण जमाबन्दी पर अंकित नहीं होने से मृत्यु की जानकारी नहीं । आराजी नम्बर 3478 स्व0 धापू प्रार्थीया की खातेदारी की है। धापू के वारिसान अपील में रिकॉर्ड पर आ गए हैं। हमने आ0नं0 3478 के लिए अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी के तहत वाद प्रस्तुत किया जिसके आधार पर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी के प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सही जारी की है। मौके पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। कब्जे को लेकर अपीलाण्ट के द्वारा कोई कथन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का निस्तारण कैम्प में किया जिसमें विवाद का निर्धारण नहीं हो सकता है। सिविल प्रकरण भी अपीलार्थीगण के द्वारा किया है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटी नहीं है। अतः अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

12. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.09.2015 में अंकित है कि विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता रितेष सुराणा द्वारा मूल वाद में अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थीया को दिलाया जाना अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 11.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार–2016 ग्राम पंचायत कोशीथल पर किया गया जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थीया उपस्थित जबकि प्रार्थीया धापू की मृत्यु दिनांक 11.06.2016 से पूर्व होना अपीलान्ट्स द्वारा बताया जिसका खण्डन प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में नहीं किया इस प्रकार प्रार्थीया की मृत्यु अधिनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2016 से पूर्व होना रेस्पोडेन्ट्स ने भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार किया तो भी मृतक को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित बताया जाकर निर्णय पारित किया जो विधि के सिद्धान्तों के सर्वथा उचित नहीं कहा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ग्राम कोशीथल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खाता संख्या 568 में आ0नं0 3478 रकबा 1.78 है0 भूमि धापू पिता मोहनलाल ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज होना स्पष्ट होता है। इसी प्रकार ग्राम कोशीथल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खाता संख्या 570 में आ0नं0 3472, 3473, 3474 रकबा 0.86 है0 भूमि धापू पिता मोहनलाल ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज होना स्पष्ट होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थीया की वाद वर्णित आराजी संख्या 3478 के उत्तर में नदी व बिलानाम आ0नं0 3476 है तथा पूर्व में नाला आ0नं0 3479 स्थित है। ग्राम पंचायत कोशीथल के द्वारा रास्ते बाबत जो आदेश पारित किया है वह बंशीलाल पिता बद्रीलाल शर्मा निवासी कोशीथल की आराजीयात में स्थित पगडण्डी जो कि कोशीथल से नीम का खेड़ा के ग्रामवासियों के उपयोग की है जिसे बन्द नहीं किए जाने हेतु अपनी स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2005 में दी है परन्तु उक्त सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कहीं पर भी अंकित नहीं है कि क्या आराजी नम्बर 3478 में से होकर रास्ता जा रहा है जिसे मैं बन्द नहीं करूगां। बंशीलाल के द्वारा दी गई सहमति से धापू बाध्य नहीं है क्योंकि आ0नं0 3478 धापू पिता मोहनलाल ब्राह्मण के खातेदारी की थी तथा ग्राम पंचायत के द्वारा धापू को कोई सूचना पत्र रास्ते बाबत जारी नहीं किया है।

13. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.06.2016 को प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में पक्षकारान को कोई सूचना पत्र जारी होना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत वक्त शिविर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मजमे आम में प्रार्थीया को सुना गया जबकि उक्त दिनांक को प्रार्थीया स्वयं या उनके अधिवक्ता के उपस्थिति का कोई हस्ताक्षर या प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत होना प्रकट नहीं होता है। जैसाकि सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रार्थीया धापू आदेश दिनांक 11.06.2016 से पूर्व फौत हो चुकी थी तो फिर केम्प में उपस्थित कैसे हो सकती ऐसी स्थिति में उक्त आदेश ही त्रुटीपूर्ण हो जाता है। द्वितीयतः अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को भी राजस्व लोक अदालत शिविर दिनांक 11.06.2016 के सम्बन्ध में कोई सूचना पत्र जारी होना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया है वह भी संक्षिप्त है केवल जमाबन्दी में आ0नं0 3478 प्रार्थीया धापू के नाम होने के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण मानते हुए निर्णय किया है जबकि सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया धापू के पक्ष में निर्णित करने का कोई विश्लेषण अपने आदेश में नहीं किया है।

14. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 11.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केम्प कोशीथल पर किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थीया धापू एवं विपक्षीगण/अपीलान्ट्स को कोई सूचना पत्र जारी किए बिना निर्णय पारित किया है जो राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप नहीं माना जा सकता है साथ ही प्रार्थीया की मृत्यु निर्णय दिनांक 11.06.2016 से पूर्व हो जाने से भी उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण है। इस प्रकार पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए बिना एवं मृतक के पक्ष में किया गया आदेश त्रुटीपूर्ण होने से निरस्त योग्य पाया जाता है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2016 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रथम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति उक्त तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करं निर्णय पारित किया जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/X/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा